प्रेस विज्ञप्ति

24.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के धन के गबन के संबंध में अभियोजन शुरू किया और 1.05 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तत्कालीन वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा) संजय चक्रवर्ती और 2 अन्य के खिलाफ अभियोजन शुरू किया है, और 22/09/2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 1.05 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

यह मामला भारतीय रेलवे के 5.13 करोड़ रुपये के धन के गबन से जुड़ा है। ईडी ने सीबीआई, एसीबी, गुवाहाटी द्वारा संजय चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन), 2018 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है। यह मामला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के 5.13 करोड़ रुपये के धन के गबन से संबंधित है।

ईडी की जाँच में पता चला कि संजय चक्रवर्ती ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लेखा विभाग में पदस्थ रहते हुए और सेवानिवृत्ति के बाद संविदात्मक रोजगार करते हुए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के एकीकृत वेतन और लेखा प्रणाली (इंटीग्रेटेड पे रोल एंड अकाउंट्स सिस्टम- आईपीएएस) में हेरफेर करके अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने 24 फर्जी/काल्पनिक बिल बनाए, जिसमें वास्तविक लाभार्थी के बैंक खाता नंबरों को धोखाधड़ी से दो फर्मों, मेसर्स इंटिमेट और मेसर्स आरसी कंप्यूटर सॉल्यूशन, जो उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के नाम पर संचालित की थीं, के साथ-साथ सीधे अपने स्वयं के बैंक खातों में बदल दिया। इस तरह उन्होंने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के 5.13 करोड़ रुपये की धनराशि निकाल ली। अपराध से प्राप्त आगम (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम - पीओसी) का हिस्सा, लगभग 1.43 करोड़ रुपये, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तत्कालीन वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को दिया गया, जिन्होंने संजय चक्रवर्ती के साथ धोखाधड़ी की साजिश रची, जिसके संबंध में ईडी द्वारा 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चल संपत्ति कुर्क की गई है। इस प्रकार, हेराफेरी किए गए धन को कई बैंक खातों के माध्यम से स्तरित किया गया और चल संपत्ति, बीमा योजनाओं, घरेलू सामान और अन्य व्यक्तिगत खर्चों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया गया।

इस मामले में, ईडी ने पहले 2.42 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को कुर्क करते हुए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था, जो अपराध के आगम क ही हिस्सा है। इस प्रकार, इस मामले में कुल कुर्की अब तक 3.47 करोड़ रुपये है।